परिशिष्ट–I

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन।

राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है। इसके पूर्व औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 दिनांक 01.07.2011 से दिनांक 30.06.2016 तक प्रभावी रही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–10.2.2 जिसमें नियमित समीक्षा एवं मध्यवर्ती सुधार का प्रावधान है तथा वाणिज्य एवं उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों के आलोक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 ("नीति") में निम्न संशोधन किया जाता है :–

1. **"कंडिका–2.4 :– नीति का दायरा"** में संशोधन

नीति की **कंडिका–2.4 :– नीति का दायरा** में निम्नांकित उप–कंडिका (छ) जोड़ा जाता है :

"(छ) इस नीति के अन्तर्गत आवेदन करने की पात्रता उन इकाईयों की होगी जो रु0 25.00 लाख या इससे अधिक का निवेश करती है अथवा 25 या इससे अधिक श्रमिकों/कामगारों को रोजगार प्रदान करती है। ये शर्तें राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित इकाईयों की स्थिति में लागू नहीं होंगी। इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से पूर्व जो प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से सहमति प्राप्त है वे इन शर्तों से प्रभावित नहीं होंगे।"

2. **"कंडिका–3.1–खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र"** में संशोधन

नीति की **कंडिका–3.1–खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र** के अन्तर्गत **प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र** में निम्नांकित **प्रक्षेत्र** एवं उनसे संबंधित **निवेश के अवसर** जोड़ा जाता है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
वेयरहाउसिंग	(ङ) सफाई एवं सुखाने की सुविधा सहित ड्राई वेयरहाउस
कोल्ड चेन	इन्टीग्रेटेड फार्म लेवल प्रोसेसिंग, ट्रान्सपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूसन आफ भेजिटेबल्स एवं होर्टिकल्चर उत्पाद (फार्म गेट पर अवस्थित स्थायी प्रसंस्करण उपक्रम ही इस सुविधा के पात्र होंगे)
बोटलिंग इकाईयाँ	जूस, केचप एवं स्क्वैश की बोटलिंग इकाईयाँ

3. **"कंडिका–3.3:– लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र"** में संशोधन

नीति की **कंडिका–3.3:– लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र** के अन्तर्गत **प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र** में निम्नांकित **प्रक्षेत्र** एवं उनसे संबंधित **निवेश के अवसर** जोड़ा जाता है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
कृषि इनपुट विनिर्माण इकाईयां	टिसु कल्चर लैब्स एवं क्राप केयर केमिकल इकाईयाँ
गैर कृषि संयंत्र	संयंत्र और उपकरण (अन्यत्र वर्गीकृत को छोड़कर) का विनिर्माण

4. **कंडिका–3.4– सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र** में संशोधन

नीति की **कंडिका–3.4– सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र** के अन्तर्गत **प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र** में निम्नांकित **प्रक्षेत्र** एवं उनसे संबंधित **निवेश के अवसर** जोड़ा जाता है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
इलेक्ट्रिकल गुड्स	• इलेक्ट्रिक जेनरेटर, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत वितरण तथा कंट्रोल उपकरण का विनिर्माण • इलेक्ट्रिक लाइटिंग उपकरण का विनिर्माण • इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण • वायरिंग एवं वायरिंग उपकरण का विनिर्माण

5. **नीति के अध्याय 3 : "हमारी प्राथमिकता के प्रक्षेत्र"** में निम्नांकित कंडिका 3.11 जोड़ा जाता है :

"3.11 काष्ठ आधारित उद्योग प्रक्षेत्र

बिहार में कृषि आधारित उद्योग आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। रेशा, तिलहन, फल एवं सब्जी, गन्ना एवं खाद्यान्न बिहार में कृषि आधारित उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट से कागज एवं लुगदी उद्योगों की स्थापना हेतु बृहद अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में अनुमानित पेड़ आच्छादन 6453 हेक्टेयर है जो वनों को छोड़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.85 प्रतिशत है। 2012–13 के बाद राज्य सरकार द्वारा कृषि वानिकी अन्तर्गत वन क्षेत्र के बाहर 2012–13 से 2018–19 की अवधि में कुल लगभग 13 करोड़ वृक्षारोपण के साथ ही किसानों की भूमि पर 882 लाख पेंड़ लगाया गया है। इस संदर्भ में काष्ठ आधारित उद्योग प्रक्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं। फर्नीचर, गृह निर्माण वस्तुओं, पैकिंग, कृषि सामग्री, खेल–कूद सामान, प्लाईवुड, विनीयर एवं दिया–सलाई की बढ़ती मांग के साथ हीं काष्ठ आधारित उद्योगों के तीव्र विकास की संभावना है। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा इसे एक थ्रस्ट एरिया मानते हुए इसे बढ़ावा देने तथा इस प्रक्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

काष्ठ आधारित उद्योगों में प्राथमिकता प्रक्षेत्र

निम्नांकित काष्ठ आधारित उद्योगों को इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता प्रक्षेत्र अन्तर्गत विचार किया जायेगा :–

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
1. लुगदी और कागज उद्योग	राज्य में कृषि वानिकी एवं कृषि आधारित उत्पाद से कागज उत्पादन हेतु पेपर मिल की स्थापना
2. दियासलाई उद्योग	दियासलाई की तिल्ली एवं दियासलाई का डब्बा उत्पादन
3. टिम्बर एवं चिरान लकड़ी उद्योग	इमारती लकड़ी एवं चिरान लकड़ी से निर्मित फर्नीचर, भवन एवं निर्माण सामग्री
4. प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, लेमिनेट एवं विनीयर उत्पादन	(क) फर्नीचर तथा कार्यालय एवं आवास के आंतरिक सजावट के लिए (ख) परिवहन गाड़ियों के फर्श, दीवाल एवं छत में उपयोग के लिए (ग) विभिन्न भवनों एवं कारखानों के भारी छीजन वाले फर्श के लिए
5. बांस आधारित उद्योग	बांस आधारित फर्नीचर उत्पादन
6. पार्टिकल बोर्ड उत्पादन	(क) प्राकृतिक निर्माण योग्य लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग

	(ख) लकड़ी का फर्श/आंतरिक सजावट/फर्नीचर बनाने में उपयोग
7. फाईबर बोर्ड उत्पादन	(क) कम ढाल की छत के लिए छत बनाने की सामग्री के रूप में उपयोग (ख) लकड़ी के बदले दीवाल की पटरी, दरवाजा तख्ती, फर्श, फर्नीचर एवं अन्य सजावट के लिए उपयोग (ग) उष्मा अवरोधी एवं ध्वनि अवरोधी वस्तु के रूप में उपयोग
8. मूल्यबर्धन उद्योग	(क) वुड/बांस सीजनिंग एवं संरक्षण उद्योग (ख) प्लांटेशन एवं औद्योगिक लकड़ी अवशेष से निर्मित ब्रिकेट्स (ग) बायोमास जेनेरशन उद्योग, बायलर उद्योग एवं अन्य उद्योग जिनमें ऊर्जा आपूर्ति के लिए बायोमास की आवष्यकता हो, के लिए फीड स्टॉक के रूप में मूल्यवर्धित ब्रिकेट्स

टिप्पणी :

1. ऐसे मामलों में जो किसी अधिनियम/नियम के अनुसार विनियमित होते हैं, इकाईयों को काष्ठ आधारित उद्योगों के प्राथमिकता प्रक्षेत्र में स्थिति प्रदान करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
2. इकाईयों/उद्यमों की उपरोक्त सूची मात्र संकेतात्मक है और राज्य सरकार प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन सूची को समय–समय पर उपयुक्त रूप में पुनरीक्षित कर सकेगा।"

6. **नीति के अध्याय 3 : "हमारी प्राथमिकता के प्रक्षेत्र"** में निम्नांकित कंडिका 3.12 जोड़ा जाता है :

"3.12 सामान्य विनिर्माण उद्योग"

सामान्य विनिर्माण उद्योग अन्तर्गत निम्नांकित सुविधाएं/इकाईयाँ प्राथमिकता प्रक्षेत्र अन्तर्गत विचारणीय होंगी :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
1–फ्लाई ऐश ब्रिक्स उत्पादन	(क) फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उत्पादन करने वाली इकाईयाँ (ख) ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (ए.ए.सी.) ब्लॉक्स का उत्पादन करने वाली इकाईयाँ
2–धान का भूसा आधारित उत्पाद	धान के भूसा से निर्मित डिस्पोजिबल प्लेट्स एवं कंटेनर
3–कृषि अवशेष भूसा सहित आधारित उद्योग	कृषि अवशेष भूसा सहित से इथेनॉल एवं बायो–गैस सहित बायो इंधन उत्पादन किया जाना
4–ऑटोमोबाईल	(क) मोटरगाड़ी, ट्रेलर एवं छोटा ट्रेलर का विनिर्माण, मोटरगाड़ी के बॉडी का विनिर्माण (कोचवर्क), पावर चालित दो पहिया एवं तीन पहिया वाहन विनिर्माण (ख) विद्युत चालित वाहन एवं विद्युत चालित वाहन के लिए उपकरण (ई0भी0एस0ई0) का विनिर्माण (ग) बैट्री तथा एक्यूमूलेटर का विनिर्माण
5–रक्षा उपकरण निर्माण करने वाली अनुषंगी इकाईयाँ	हथियार, गोला–बारूद एवं संबद्ध औजार विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ
6–आभूषण	आभूषण, कीमती एवं मध्यम स्तर के पत्थर वर्क
7–धातु एवं फेब्रिकेशन	(क) लोहा एवं स्टील, मूलधातु, नन्फेरस धातु का विनिर्माण एवं कास्टिंग ऑफ मेटल्स इकाईयाँ

	(ख) संयंत्र एवं मशीनरी को छोड़कर फेब्रिकेटेड मेटल उत्पाद
8–खेल–कूद सामग्री	सभी प्रकार के खेल–कूद सामग्री का विनिर्माण (प्लास्टिक एवं रबर से निर्मित को छोड़कर)
9–दूरसंचार	दूरसंचार उपकरण विनिर्माण

नोटः–

1. रक्षा अनुषंगी प्रक्षेत्र की उपर वर्णित इकाईयाँ/उद्यम "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के व्यापक रुप–रेखा द्वारा संचालित होगी।
2. इकाईयों/उद्यमों की उपरोक्त सूची मात्र संकेतात्मक है और राज्य सरकार प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन सूची को समय–समय पर उपयुक्त रूप में पुनरीक्षित कर सकेगा।

7. नीति की **कंडिका 6.1: मार्गदर्शन सिद्धान्त/सामान्य प्रावधान** की **उप कंडिका (xx)** के बाद निम्नांकित **उप कंडिका (xxi) एवं (xxii)** जोड़ा जाता है :–

"**कंडिका 6.1(xxi)** – सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति/क्लियरेंस जो बिहार में औद्योगिक इकाईयों के स्थापित होने के लिए आवश्यक है, को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 6(4) एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की नियमावली 9 के अनुसार डीम्ड क्लियरेंस दिया जायेगा।"

"**कंडिका 6.1(xxii)** – किसी कार्यरत इकाई में इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (इ.टी.पी.) अथवा एयर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ए.टी.पी.) की स्थापना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत नई परियोजना के रूप में विचार किया जाएगा। तदनुसार उन्हें सभी प्रोत्साहन/सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई परियोजनाओं के लिए इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (इ.टी.पी.) अथवा एयर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ए.टी.पी.) की लागत को स्वीकृत परियोजना लागत में शामिल किया जायेगा।"

8. नीति की **कंडिका 6.3: केन्द्र सरकार के नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय** को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"**6.3 केन्द्र सरकार के नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय :**

इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की योजनाओं के प्रोत्साहन के साथ समन्वय अनुमान्य होगा। यदि किसी भी उद्यमी के द्वारा भारत सरकार की योजना जिसमे राज्य की भी हिस्सेदारी हो या जो राज्य सरकार की योजना से जोड़ी जाती है, के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त की जाती है तो राज्य सरकार की इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की राशि की गणना इकाई के कुल परियोजना लागत में से राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के समानुपातिक परियोजना लागत को घटाकर की जायेगी।"

9. नीति की **कंडिका 6.6: एम0एस0एम0ई0 कलस्टर डेवलॉपमेंट सेन्टर के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के साथ डोमटेलिंग** को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(क) मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सी0एफ0सी0 की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों के डोमटेलिंग की अनुमति होगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि एक ही परिसम्पत्ति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं उक्त योजना द्वारा आच्छादित नहीं होंगे। इस प्रकार इस योजना के तहत सी0एफ0सी0 के किसी विशेष परिसम्पत्ति पर लिये गये/लिये जाने वाले अनुदान की स्थिति में उस परिसम्पत्ति को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान की गणना के लिए स्वीकृत परियोजना लागत में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ख) जिला औद्योगिक नव प्रवर्त्तन योजना :–

प्रत्येक जिला पदाधिकारी को नवप्रवर्त्तन के तहत सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित कराने के उद्देश्य से एक नवप्रवर्त्तन निधि उपलब्ध कराई जायेगी। इस निधि का उपयोग लघु कार्य जैसे – सिलाई केन्द्र की स्थापना, पेभर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केन्द्र, बढ़ईगिरी केन्द्र के लिए किया जायेगा। सूक्ष्म इकाई की स्थापना कराने के समय उनके फॉरवर्ड एवं बैंकवार्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित किया जाय ताकि ये इकाई लम्बे समय तक कार्यरत रह सके।

(ग) राज्य के लोक उपक्रम (PSUs) द्वारा औद्योगिक कलस्टर विकास

राज्य के सभी लोक उपक्रम (पी0एस0यू0) कलस्टर आधारित विनिर्माण कार्यों के लिए जिलों को गोद लेगी। विकास आयुक्त, बिहार के अध्यक्षता में गठित कमिटि इन लोक उपक्रमों (पी0एस0यू0) को जिला आवंटित करेगी। इन लोक उपक्रमों को कलस्टर आवंटन के समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आवंटित कलस्टर उस लोक उपक्रम के कार्य प्रक्षेत्र के अनुरूप हो। उदाहण स्वरूप हस्तकला से संबंधित कलस्टर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के साथ संबद्ध हो क्योंकि वे उस उपक्रम के कार्यकलाप के साथ प्रक्षेत्रवार संबद्ध हैं। कलस्टर के कुछ क्षेत्र जो प्रस्तावित है वें इस प्रकार है :– (I) खाद्य प्रसंस्करण, (II) परिधान निर्माण, (III) फार्म मशीनरी, (IV) पेभर ब्लॉक/सिमेंट पोल (विद्युत), (V) फर्नीचर निर्माण, (VI) हस्तकरघा, (VII) हस्तकला एवं (VIII) चर्म आधारित उत्पाद। ये लोक उपक्रम इन कलस्टरों के आधारभूत संरचना हेतु अपने संसाधन से (रिजर्व एण्ड सरप्लस) इन्हें वित्त पोषण करेगी। लोक उपक्रम शिल्पियों/कुशल श्रमिकों की पहचान श्रमिकों के डाटा बेस के आधार पर कर कलस्टर का निर्माण करेगी। लोक उपक्रमों द्वारा इन कलस्टरों के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज की व्यवस्था तथा प्रबंधकीय सहायता कम से कम तीन वर्षों के लिए की जायेगी।

10. निम्न **कंडिका 6.8: सामरिक निवेश परियोजनाओं हेतु अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज** नीति की **कंडिका 6.7: निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रोत्साहन** के बाद जोड़ा जाता है :–

"6.8: सामरिक निवेश परियोजनाओं हेतु अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज

बिहार में आनेवाली कोई सामरिक निवेश परियोजना इस अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज के लिए दावेदार होगी, जिसकी मदवार विवरणी की अनुशंसा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के धारा 4 के अंतर्गत गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा की जायेगी। इन इकाईयों को प्रोत्साहन देने के पूर्व राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुशंसित प्रस्तावित प्रोत्साहनों की सूची सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी। इस उद्देश्य हेतु "सामरिक निवेश परियोजना" का तात्पर्य ऐसी नई परियोजनाओं से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में 500.00 करोड़ रू0 के उपर का निवेश हो अथवा 500 से अधिक व्यक्तियों का रोजगार सृजन करती हो जिससे राज्य के निवेश वातावरण पर दीर्धकालिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ एवं रोजगार सृजन हो सके।"

11. निम्न **कंडिका 6.9: ख्याति प्राप्त निजी कंपनियों का राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति** की **कंडिका 6.8: सामरिक निवेश परियोजनाओं हेतु अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज** के बाद जोड़ा जाता है :–

"कंडिका 6.9: ख्याति प्राप्त निजी कंपनियों का राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम

राज्य के लोक उपक्रमों को श्रम प्रधान विनिर्माण प्रक्षेत्र की वैसी प्रमुख निजी कंपनीयों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो राज्य में निवेश करने को इच्छुक हैं। कुछ प्रक्षेत्र जो इस कंडिका के अन्तर्गत विचारणीय होंगी, इस प्रकार है :– खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाईल, वस्त्र निर्माण और फार्म मशीनरी आदि। संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए विनिर्माण प्रक्षेत्र की अग्रणी कंपनीयों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगा। राज्य के लोक उपक्रम इन संयुक्त उद्यमों के इक्विटी में संयुक्त रूप से निवेश करेगी। यह बड़े अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठनों को राज्य में विनिर्माण इकाई स्थापित करने में सहूलियत प्रदान करेगी।"

12. निम्नांकित **अध्याय 6अ – निवेश को आकर्षित करने और कोविड–19 के कारण बिहार में लौटे श्रमिको को रोक रखने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज** नीति के **अध्याय–6 प्रोत्साहन हेतु सामान्य पैकेज** के बाद जोड़ा जाता है :–

"अध्याय 6अ – निवेश को आकर्षित करने और कोविड–19 के कारण बिहार में लौटे श्रमिको को रोक रखने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज

कोविड–19 के कारण वर्त्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर एक अभूतपूर्व प्रभाव श्रमिकों सहित राज्य के अर्थ व्यवस्था पर पड़ा है। एक अनुमान के मुताविक लगभग 25 लाख श्रमिक जो दूसरे राज्य में कार्यरत थे, वे राज्य में लौट आये है। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रक्षेत्रों के पुर्नआंरभ करने के लिए जरूरी कदम उठाये जिसके फलस्वरूप श्रमिकों को उनकी कौशल दक्षता एवं विविधता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध हो।

इस परिप्रेक्ष्य में यह अति आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार राज्य की शक्ति यथा राज्य में अत्यधिक संख्या में लौटे कुशल एवं अकुशल श्रमिक का लाभ उठाते हुए ऐसे अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज लेकर आये जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित एवं पुनर्पोषित कर सके। अतः राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है जो उपर वर्णित उदेश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। इस प्रोत्साहन पैकेज का उदेश्य राज्य में जीविकोपार्जन एवं औद्योगिक कार्यकलाप के नये अवसर उपलब्ध कराते हुए नियोजन का अवसर प्रदान कराना है।

(क) सामान्य :–

(i) 'निवेश को आकर्षित करने और कोविड–19 के कारण बिहार में लौटे श्रमिको को रोक रखने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज' संशोधन संबंधित अधिसूचना निर्गत की तिथि से 12 महीनों के लिए वैध होगा।

(ii) इस अवधि में आवेदन करने वाली इकाई इस विशेष अनुदान के पैकेज को जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद उपर्युक्त शर्त्तो के साथ प्राप्त स्वीकृति की तिथि से 12 महीने के अवधि के लिए पैकेज प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iii) इस विशेष पैकेज के लाभ के लिए इच्छुक इकाई के लिए बिहार लौटे श्रमिकों के पुल से कम से कम 20% नियोजन बाध्यकारी होगा। ये इकाईयाँ जिला परामर्शदातृ केन्द्र से सूची प्राप्त करेगी और उसे संबंधित श्रमिकों के सम्पुष्टि के उपरांत अपने प्रस्ताव में शामिल करेगी।

(iv) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अनुमोदन के पश्चात 03 वर्षों के अंतर्गत ये इकाईयाँ अपने पूर्ण क्षमता के अनुरूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेगी। बिहार लौटे श्रमिकों को रोक रखने के उदेश्य से ये इकाईयाँ एक वर्ष के अंत तक अपने क्षमता के 25% तक Trial production कर सकेगी।

(v) **निवेश को आकर्षित करने और कोविड–19 के कारण बिहार में लौटे श्रमिको को रोक रखने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज** के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान की समीक्षा और उसे शामिल करने के लिए विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की जाएगी। सचिवों की समिति में राज्य के सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि होंगे।

I.	विकास आयुक्त	अध्यक्ष
II.	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य सचिव
III.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
IV.	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य
V.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
VI.	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
VII.	प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं	सदस्य

	जलवायु परिवर्त्तन विभाग	
VIII.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
IX.	प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्यकर विभाग	सदस्य
X.	प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
XI.	प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	सदस्य

(ख) जिला परामर्शदातृ केन्द्र द्वारा स्कील मैपिंग :–

इस पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जिला स्तर पर राज्य में वापस लौटे श्रमिकों के आगमन की सूची (उनके कौशल दक्षता के साथ) संधारित किया जाय। जिला स्तरीय परामर्शदातृ केन्द्र श्रमिकों के कौशल स्तर (कौशल दक्षता) का परीक्षण करेगी और राज्य में नियोजन के उपलब्ध अवसर के विकल्पों का सुझाव देगी। यह केन्द्र जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी जो उस केन्द्र के कार्यो की प्रगति की निरंतर निगरानी करेंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद एवं अन्य समितियाँ (यथा उचित) जिला परामर्शदातृ केन्द्र के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में बड़ी संख्या में श्रमिक नियोजित हो सके।

(ग) जिला औद्योगिक नव प्रवर्त्तन योजना :–

प्रत्येक जिला पदाधिकारी को नवप्रवर्त्तन के तहत सूक्ष्म इकाईयों को स्थापित कराने के उद्देश्य से एक नवप्रवर्त्तन निधि उपलब्ध कराई जायेगी। इस निधि का उपयोग लघु कार्य जैसे – सिलाई केन्द्र की स्थापना, पेभर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केन्द्र, बढ़ईगिरी केन्द्र के लिए किया जायेगा। सूक्ष्म इकाई की स्थापना कराने के समय उनके फॉरवर्ड एवं बैंकवार्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित किया जाय ताकि ये इकाई लम्बे समय तक कार्यरत रह सके।

(घ) राज्य के लोक उपक्रम (PSU) द्वारा औद्योगिक कलस्टर विकास :–

राज्य के सभी लोक उपक्रम (पी0एस0यू0) कलस्टर आधारित विनिर्माण कार्यों के लिए जिलों को गोद लेगी। विकास आयुक्त, बिहार के अध्यक्षता में गठित कमिटि इन लोक उपक्रमों (पी0एस0यू0) को जिला आवंटित करेगी। इन लोक उपक्रमों को कलस्टर आवंटन के समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आवंटित कलस्टर उस लोक उपक्रम के कार्य प्रक्षेत्र के अनुरूप हो। उदाहण स्वरूप हस्तकला से संबंधित कलस्टर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के साथ संबद्ध हो क्योंकि वे उस उपक्रम के कार्यकलाप के साथ प्रक्षेत्रवार संबद्ध हैं। कलस्टर के कुछ क्षेत्र जो प्रस्तावित है वें इस प्रकार है :– (I) खाद्य प्रसंस्करण, (II) परिधान निर्माण, (III) फार्म मशीनरी, (IV) पेभर ब्लॉक/सिमेंट पोल (विद्युत), (V) फर्नीचर निर्माण, (VI) हस्तकरघा, (VII) हस्तकला एवं (VIII) चर्म आधारित उत्पाद। ये लोक उपक्रम इन कलस्टरों के आधारभूत संरचना हेतु अपने संसाधन से (रिजर्व एण्ड सरप्लस) इन्हें वित्त पोषण करेगी। लोक उपक्रम शिल्पियों/कुशल श्रमिकों की पहचान श्रमिकों के डाटा बेस के आधार पर कर कलस्टर का निर्माण करेगी। लोक उपक्रमों द्वारा इन कलस्टरों के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज की व्यवस्था तथा प्रबंधकीय सहायता कम से कम तीन वर्षों के लिए की जायेगी।

(ड.) अन्य राज्यों से बिहार में पुर्नस्थापित होने वाले इकाईयों के लिए प्रोत्साहन पैकेज :–

बिहार राज्य में पुर्नस्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु दूसरे राज्यों में विद्यमान कार्यरत इकाईयों को नीति के कंडिका 6.2 प्रोत्साहन पैकेज जो उन्हें देय होगा, के अलावे निम्नांकित प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

क– दूसरे राज्यों से बिहार राज्य में प्लांट एवं मशीनरी को पुर्नस्थापित करने हेतु परिवहन एवं अन्य व्यय तथा उनके स्थापना एवं चालू करने में हुए व्यय का 80 प्रतिशत को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात् उन्हें प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

ख– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए कच्चे माल के परिवहन पर हुए व्यय का 80 प्रतिशत इकाई को प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। उत्पादित वस्तुओं के राज्य के बाहर बिक्री करने की स्थिति में उनके परिवहन पर हुए व्यय भी सम्मिलित होगा। इस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख तक रहेगी।

ग– सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति/क्लियरेंस जो बिहार में औद्योगिक इकाईयों के स्थापित होने के लिए आवश्यक है, को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 6(4) एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की नियमावली 9 के अनुसार डीम्ड क्लियरेंस दिया जायेगा।

घ– ऐसी इकाईयों को एक वर्ष के लिए विभिन्न एजेंसियों (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं अग्नि शमन निदेशालय को छोड़कर) जाँच की आवश्यकता से छूट रहेगी, यदि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृति में विशेष कोई उल्लेख न हो।

ङ– ऐसी इकाईयों को यदि वे ई0एस0आई0 में पूर्व के राज्य से निबंधन लिए हुए हो तो उन्हें बिहार में अलग से ई0एस0आई0 निबंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वह बिहार राज्य के लिए मान्य होगा।

च– 01 वर्ष के लिए ई0पी0एफ0 में कर्मियों का अपने वेतन का 12% अंशदान और नियोक्ता का 12% अंशदान की प्रतिपूर्ति इकाई को की जाएगी।

छ– उपर्युक्त (क) से (च) तक के प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए ऐसी इकाईयाँ उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लियरेंस पोर्टल (www.swc.bihar.gov.in) पर प्रोत्साहन पैकेज के लिए आवेदन करेगी और यह राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के समक्ष One Time स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

13. **अध्याय–7:–खरीद अधिमानता नीति** में (च) के बाद निम्न कंडिका **(छ)–(झ)** जोड़ा जाता है :–

(छ) राज्य अवस्थित इकाईयों को प्रोत्साहन– राज्य के सभी विभाग इस अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर ऐसे सभी उत्पादों जो राज्य अवस्थित इकाईयों द्वारा उत्पादित किया जाता है उसकी पहचान करेगा और उसका अधिप्राप्ति राज्य अवस्थित इकाईयों से करेगा। ऐसे चिन्हित उत्पाद राज्य अवस्थित इकाईयों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के एजेंसियों द्वारा क्रय के लिए सुरक्षित रहेगा। ऐसे ठेकों में जिनमें इन उत्पादों का क्रय शामिल हो, के लिए राज्य सरकार के एजेंसियों द्वारा नियुक्त ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त उत्पादों का क्रय राज्य अवस्थित इकाईयों से ही हो। राज्य सरकार की एजेंसियाँ अपने निविदा में राज्य अवस्थित इकाईयों से क्रय की जानेवाली उत्पादों का स्पष्ट उल्लेख करेगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु लोक क्रय अधिमानता नीति, जो एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम के कंडिका–11 द्वारा अधिसूचित है एवं जो समय–समय पर संशोधित होती है, के प्रावधानों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को बढ़ावा देने हेतु लागू किया जायेगा।

(ज) बिहार अवस्थित इकाईयों के लिए पूर्व अनुभव का प्रावधान– बिहार अवस्थित सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों का दूसरे राज्यों के उद्यमों की तुलना में पूर्व अनुभव एवं अस्तित्व से संबंधित कारणों से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी बिहार अवस्थित सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाई को उम्र की सीमा को नजर अंदाज करते हुए क्षमता के अनुरूप सरकारी आदेश की निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। क्षमता संबंधी आवश्यकता के शर्त्तों को पूरा करने के संबंध में राज्य सरकार की एजेंसी की पूर्णरूपेण जबाबदेही होगी। इस संबंध में किसी भी विवाद/अंकेक्षीय टिप्पणी के लिए राज्य सरकार की एजेंसी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

(झ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा अनुदान संबंधी योजनाओं की समीक्षा– विभिन्न विभागों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा अनुदान संबंधी योजनाओं की समीक्षा की जायेगी जिससे सुनिश्चित हो सके की उत्पादों का क्रय सिर्फ राज्य अवस्थित इकाईयों से ही की गयी हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बिहार में स्थापित होने वाले निर्माण इकाईयों के लिए बिहार में एक तैयार बाजार उपलब्ध है।

14. नीति की **कंडिका–6.1(ii)** एवं **परिशिष्ट –I** के **A. सामान्य परिभाषा** की **उप–कंडिका (16)** के दूसरे वाक्य को विलोपित करते हुए **कंडिका–13** को नीति की कार्यान्वयन अवधि को बढ़ाने हेतु निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। नीति में संशोधन संबंधित अधिसूचना के निर्गत की तिथि से नीति के पूरे प्रभावी अवधि तक के लिए लागू रहेगा।"

15. अधिसूचना संख्या 1937 / पटना दिनांक 27.12.17, शीर्षक–**"उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016** में निम्न संशोधन किया जाता है :–

15.1 **कंडिका 2.1 : उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों, प्राथमिकता प्रक्षेत्रों तथा गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अधीन औद्योगिक इकाई की परिभाषा** के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता कोटि में **"ई–वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र"** निम्नवत जोड़ा जाता है :–

"ई–वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र के लिए

ऐसी इकाई जिसमें (i) अचल संपति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो, तथा (ii) कम से कम 50 मूल कर्मी (सहायक कर्मी जैसे चालक, गार्ड, इत्यादि को छोड़कर) का नियोजन हो।"

15.2 **कंडिका 2 : उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र** के अन्तर्गत **उप कंडिका–2.4** के बाद निम्न **उप–कंडिका–2.5** जोड़ा जाता है :

" 2.5 ई–वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र

ई–वाहन विनिर्माण प्रक्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र निम्नवत हैं :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
ई–रिक्शा	दोपहिया और तिपहिया ई–रिक्शा का विनिर्माण

टिप्पणी :

1. वैसी इकाईयाँ जो सिर्फ ई–रिक्शा के अवयवों की असेंबली (Assembly) के प्रयोजनार्थ स्थापित हैं या कोई तात्विक मूल्यवर्धन नहीं करती है उन पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।
2. इकाईयों / उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र संकेतात्मक है और राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन सूची को समय–समय पर उपयुक्त रूप में पुनरीक्षित कर सकेगा।"

15.3 **कंडिका 2.3 : खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र** के अन्तर्गत निम्नांकित प्रक्षेत्र एवं उनसे संबंधित **निवेश के अवसर** जोड़ा जाता है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
इथनॉल उत्पादन	गन्ना, मेज, चावल इत्यादि से उत्पादित इथनॉल
दाल आधारित	(क) दाल प्रसंस्करण इकाईयाँ (ख) स्नैक्स एवं नमकीन उत्पादन की इकाईयाँ
गेहूँ आधारित	(क) पास्ता एवं नूडल्स उत्पादन इकाईयाँ (ख) टू डी एवं थ्री डी फ़ायम्स बनाने वाली इकाईयाँ (ग) बिस्कुट, केक्स, एवं बेकरी उत्पाद (घ) स्नैक्स एवं नमकीन उत्पादन की इकाईयाँ

मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण	सभी ब्रान्डेड कृषि आधारित उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयाँ

15.4 **कंडिका 2.4 : टेक्सटाईल, अपैरेल एवं चमड़ा सेक्टर में उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र** के अन्तर्गत निम्नांकित **प्रक्षेत्र** एवं उनसे संबंधित **निवेश के अवसर** जोड़ा जाता है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
टेक्सटाईल आधारित	(क) यार्न उत्पादन (ख) रंगाई एवं छपाई

16. उद्योग विभाग एक फ्रेम वर्क निर्गत करेगी जिसमें इस नीति के संशोधन के कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन के दावों के निपटान के लिए एक विस्तृत दिशा–निर्देश का उल्लेख होगा।

17. प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से अथवा इकाई के द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन का लाभ में यदि कोई गलत घोषणा दी गई हो, जिसके लिए वह इकाई योग्य नहीं थी अथवा इस नीति का कोइ शर्त्त के उल्लंघन की स्थिति में नीति की कंडिका 10.3 के तहत प्रोत्साहन की राशि की वसूली कर ली जायेगी।

18. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 में सभी उपर्युक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 की प्रभावी तिथि तक प्रभावी रहेगी। उपर्युक्त संशोधन वैसे निवेश प्रस्ताव जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, पर लागू नही होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
29/6
(नर्मदेश्वर लाल),
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 883 /पटना, दिनांक– 29.06.2020
सं0सं0– 4/तक0/नीति संशोधन/07/2020
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाषित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

29/6
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 883 /पटना, दिनांक– 29.06.2020
सं0सं0– 4/तक0/नीति संशोधन/07/2020
प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2020
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 883 /पटना, दिनांक– 29.06.2020

सं0सं0– 4/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 883 /पटना, दिनांक– 29.06.2020

सं0सं0– 4/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलिपुत्र, पटना/मुजफ्फरपुर/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 883 /पटना, दिनांक– 29.06.2020

सं0सं0– 4/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विषेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 883 /पटना, दिनांक– 29.06.2020

सं0सं0– 4/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2020

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।